सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 62/17 **निर्णय दिनांकः– 20–08–2019**

1. लालचन्द पुत्र रामेश्वरलाल जाति ब्राहमण निवासी कांकड़वाला तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. पूर्णाराम पुत्र महताराम जाति ब्राहमण निवासी कांकड़वाला तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लूणकरनसर।

–रेस्पोडेन्ट्स

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अपील विरुद्व दिनांक 26–10–2005
उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर

उपस्थितः–

1. श्री श्यामदीन पड़िहार, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के आदेश दिनांक 26–10–2005 जिसके द्वारा अपीलांट का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया है के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा एक दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि पर संवत् 2012 से पूर्व कब्जे काश्त के आधार पर धारा 15एएए के तहत खातेदारी अधिकारों की धोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिस पर पत्रावली शहादत पर जैरकार थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र प्रकरण को निपटाने के उद्वेश्य मात्र से अपीलांट/वादी का वादपत्र अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट/वादी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निरन्तर उपस्थित आते रहे है। ऐसीस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के हितों पर आदेश जैर अपील के माध्यम से कुठाराधात किया गया है। जिसकी अनुमति कानून प्रदान नहीं करता है। अपीलांट वादग्रस्त भूमि का एक विधिक काश्तकार है। जिसे अपने खातेदारी अधिकारों की धोषणा करवाने का पूर्ण अधिकार हासिल है।

उन्होनें आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिकाओं के अवलोकन से प्रथम दृष्टया ही साबित होता है कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होते रहे है तथा पत्रावली अपीलांट की शहादत पर जैरकार थी ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए था ना कि मात्र सरसरी तौर पर आदेश पारित किया जाना चाहिए था। न्याय की मंशा रही है कि जहॉ तक संभव हो प्रकरण का निस्तारण पक्षकारों की सुनवाई के उपरान्त गुणावगुण पर किया जावे ताकि पक्षकारों को अनावश्यक रूप से परेशानी का सामना नहीं करना पड़े तथा पक्षकार को अन्तोतवगत्ा न्याय प्राप्त हो सके। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को न्यायालय की तरफ से नोटिस जारी किये जाने के उपरान्त व माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के दिशा–निर्देशों के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उपस्थित नहीं आने पर पत्रावली का निस्तारण गुणावगुण पर किया जा रहा है।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

6. प्रस्तुत प्रकरण में परीक्षण न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता की लापरवाही के कारण समय पर साक्ष्य पेश नहीं हो सके। न्यायालय द्वारा अदम पैरवी में वाद खारिज कर दिय गया। पक्षकार/अपीलांट ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है। जिनसे कानूनी पेचिदगियों तथा मियांद अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अदम पैरवी में वाद खारिज होने पर उसी न्यायालय में पुनर्स्थापन हेतु दरखवाश्त पेश करनी थी, परन्तु जानकारी के अभाव में करीब दो साल बाद अपील पेश की गई है। अपील न्यायालय ने वादी की परिस्थितियों तथा वाद में चाहे गये अनुतोष की गंभीरता के आधार पर वाद की सुनवाई हेतु परीक्षण न्यायालय को निर्देश दिये गये। प्रत्येक पक्षकार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया जाना चाहिए ता गुणावगुण तथा प्रकरण की गंभीरता के संदर्भ में व्याख्या की जानी चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण सरसरी तौर पर करने में कानूनी भूल कारित की गई है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–10–2005 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वादी को साक्ष्य का अवसर देकर वाद का गुणावगुण के आधार पर निर्णय करें।

8. निर्णय आज दिनांक 20–08–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर